संख्या-260/2021/1122/41-2021-39(बजट)/2019

प्रेषक

गिरिजापति द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनॉक 22 मार्च 2021**

विषय-जनपद वाराणसी के तहसील पिण्डरा स्थित नकटेश्वरी (नकटी भवानी) स्थल पर बाउण्ड्रीवाल एवं गेट के निर्माण कार्य की जी0एस0टी0 की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-7261/6-1-1(956)/2018-19 दिनॉक 12 मार्च, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद वाराणसी के तहसील पिण्डरा स्थित नकटेश्वरी (नकटी भवानी) स्थल पर बाउण्ड्रीवाल एवं गेट के निर्माण कार्य हेतु सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए उसके द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष रू0 166.96 लाख (जिसमें जी0एस0टी0 मद में रू0-15.71 लाख की धनराशि सम्मिलित थी) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 83.48 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-172/2018/2303/41-2018-39(बजट)/2018 दिनांक 05 अक्टूबर 2018 द्वारा निर्गत् की गई थी। तदनन्तर शासनादेश सं0-168/2019/1722/41-2019-39(बजट)/2018 दिनांक 24 जून 2019 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0-75.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई। इस प्रकार अवमुक्त की गई धनराशि में जी0एस0टी0 मद में व्यय की गई धनराशि रू0-7.23 लाख भी अवमुक्त कर दी गई थी। तत्क्रम में महानिदेशक पर्यटन द्वारा प्रायोजना हेतु अवमुक्त धनराशि रू0-158.48 लाख के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराते हुये अवशेष धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया। प्रकरण में भुगतानित धनराशि के सापेक्ष प्रपत्र की मांग किये जाने पर यह पाया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना के संदर्भ में वास्तविक रूप से रू0-9.79 लाख का भुगतान ही किया गया है एवं उसके सापेक्ष रू0-7.23 लाख पहले ही अवमुक्त किया जा चुका है। यह भी पाया गया है कि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज की धनराशि रू0-78365/- अर्जित की गई है।

3- उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत चालू प्रायोजना हेतु जी0एस0टी0 की अवशेष धनराशि रू0-2.56 लाख में से रू0-78365/- को घटाते हुये रू0-1,77,635 लाख **(रूपये एक लाख सतहत्तर हजार छः सौ पैंतीस हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश सं0-172/2018/2303/41-2018-39(बजट)/2018 दिनांक 05 अक्टूबर 2018 एवं शासनादेश सं0-168/2019/1722/41-2019-39(बजट)/2018 दिनांक 24 जून 2019 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-149/दस-2020-231/2019, दिनांक 24 मार्च, 2020,शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020 , शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-4-2020 एवं शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा।

(3) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च 2020 के प्रस्तर-2(9)(ड) में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 80 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(6) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (**VII**) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में दुविरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रायोजना में जी0एस0टी0 की अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

4- प्रस्तर-3 में प्रदान की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08 मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या संख्या-1/2021/बी-1-141/दस-2021-231/2020 दिनांक 20 जनवरी 2021 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या- 260/2021/1122/41-2021-39(बजट)/2019 ,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, वाराणसी।
4- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम , लखनऊ ।
8- परियोजना प्रबंधक, सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम , वाराणसी ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
10- संयुक्त निदेशक, पर्यटन ,वाराणसी मण्डल।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 1122(2)/41-2021-39(बजट)/2019

प्रेषक

गिरिजापति द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनॉक मार्च 2021**

विषय-जनपद वाराणसी के तहसील पिण्डरा स्थित नकटेश्वरी (नकटी भवानी) स्थल पर बाउण्ड्रीवाल एवं गेट के निर्माण कार्य की जी0एस0टी0 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-674/6-1-1(956)/2018-19 दिनॉक 18 जून, 2020 एवं पत्र सं0-7261/6-1-1(956)/2018-19 दिनॉक 12 मार्च, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद वाराणसी के तहसील पिण्डरा स्थित नकटेश्वरी (नकटी भवानी) स्थल पर बाउण्ड्रीवाल एवं गेट के निर्माण कार्य हेतु सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए उसके द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष रू0 166.96 लाख (जिसमें जी0एस0टी0 मद में रू0-15.71 लाख की धनराशि सम्मिलित थी) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 83.48 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-172/2018/2303/41-2018-39(बजट)/2018 दिनांक 05 अक्टूबर 2018 द्वारा निर्गत् की गई थी। तदनन्तर शासनादेश सं0-168/2019/1722/41-2019-39(बजट)/2018 दिनांक 24 जून 2019 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0- 75.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई। इस प्रकार अवमुक्त की गई धनराशि में जी0एस0टी0 मद में व्यय की गई धनराशि रू0-7.23 लाख भी अवमुक्त कर दी गई थी। तत्क्रम में प्रायोजना हेतु अवमुक्त धनराशि रू0-158.48 लाख के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराते हुये अवशेष धनराशि रू0-8.48 लाख अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में भुगतानित धनराशि के सापेक्ष प्रपत्र की मांग किये जाने पर यह पाया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना के संदर्भ में वास्तविक रूप से रू0-9.79 लाख का भुगतान ही किया गया है एवं उसके सापेक्ष रू0-7.23 लाख पहले ही अवमुक्त किया जा चुका है। यह भी पाया गया है कि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज की धनराशि रू0-78365/- अर्जित की गई है। उक्त के बावजूद पर्यटन विभाग की स्थानीय एवं निदेशालय स्तर पर बिना प्रकरण का सम्यक परीक्षण किये जी0एस0टी0 मद में रू0-15.71 लाख की धनराशि व्यय किये जाने को आधार बनाकर जी0एस0टी0 मद में रू0-8.48 लाख अवमुक्त करने हेतु भ्रामक प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है जबकि वास्तविक देयता सिर्फ रू0-1,77,635 लाख **(रूपये एक लाख सतहत्तर हजार छः सौ पैंतीस हजार मात्र)** की बनती है।

4- अतः कृपया प्रकरण में लापरवाही बरतने /कदशयतापूवर्क प्रस्ताव शासन को प्रेषित कराये जाने हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही संस्थित किये जाने का प्रस्ताव शासन को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in